



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16311

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 39476 वर्ष 2025

आकाश आर्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

फ़खरुज्जमां

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. सूची को संशोधित किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री फ़खरुज्जमां की ओर से तर्क प्रस्तुत कर रहे श्री मोहम्मद यासिर एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- गरौठा, जिला- झांसी में **मुकदमा अपराध संख्या 73 वर्ष 2025**, अंतर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस. (BNS) के तहत जमानत की मांग कर रहा है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। मुखबिर और चश्मदीद गवाह का विचारण के दौरान क्रमशः पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-2 (PW-1 & PW-2) के रूप में परीक्षण किया गया है, और वे अपने पिछले बयानों से पूरी तरह मुकर गए हैं। गवाहों को पक्षद्रोही (hostile) घोषित करने के बाद लोक अभियोजक द्वारा उनसे जिरह की गई है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में आवेदक की दोषसिद्धि (conviction) की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 23.04.2025 से जेल में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किंतु वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और गवाह पक्षद्रोही (hostile) हो गए हैं।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचारण के दौरान तथ्य के गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए आधार बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- **आकाश आर्य** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 21, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।